

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19873/2023

श्रीमती पूनम शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री चंद्र शेखर शर्मा पत्नी अमित शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मकान नं. 211, वार्ड नं. 26 पुराना, नया 45, शांति नगर, सीकर, तहसील और जिला सीकर, वर्तमान में वार्ड नं. 13, पारिकों का बास, लाडनूं, तहसील लाडनूं, जिला नागौर (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर शर्मा, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 211, वार्ड नं. 26 पुराना, नया 45, शांति नगर, सीकर, तहसील और जिला सीकर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से

:

श्री गौरव राठौड़

श्रीमती निकिता भंडारी,

श्री निर्मल सोलंकी के लिए

प्रतिवादी की ओर से

:

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

आदेश01/03/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक)

1. यह याचिका दिनांक 04.11.2023 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके तहत प्रतिवादी-उत्तरदाता द्वारा द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने स्थायी निषेधाज्ञा का एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी द्वारा हरिद्वार के पांडाओं के बहीखातों (हरिद्वार के पंडितों द्वारा अपने रिश्तेदार की मृत्यु के बाद आए व्यक्ति का विवरण दर्ज करने के लिए बनाए गए खाते) को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन दायर किया गया था। आवेदन को 04.11.2023 को स्वीकार कर लिया गया और बहीखातों की फोटोस्टेट प्रतियों को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी गई। इसलिए, यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की मां द्वारा गोद लिए जाने का दावा करता है और एक गोद लेने के विलेख पर भरोसा करता है। उनका तर्क है कि जब गोद लेने का विलेख निष्पादित किया गया था तब प्रतिवादी की उम्र 45 वर्ष थी। यह भी तर्क दिया गया कि बहीखाते चल संपत्ति हैं और उन्हें मूल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था।
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 उन मामलों से संबंधित है जिनमें दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (d) को प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा।

धारा 65: वे मामले जिनमें दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं

"निम्नलिखित मामलों में किसी दस्तावेज के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है-

XXXXXXXXXX

(d) जब मूल दस्तावेज इस तरह का हो कि उसे आसानी से स्थानांतरित न किया जा सके;"

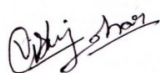
5. खंड (d) के अनुसार, एक दस्तावेज़ को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है जब मूल दस्तावेज़ इस तरह का हो कि उसे आसानी से स्थानांतरित न किया जा सके।
6. पांडाओं द्वारा बनाए गए बहीखातों को अन्य व्यक्तियों को नहीं सौंपा जाता है, इसलिए वे आसानी से चलने-फिरने योग्य नहीं होते हैं। प्रतिवादी ने पांडा का नाम, पता और फोन नंबर और प्रासंगिक विवरण दिया था। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ की सत्यता और साक्ष्य मूल्य इस स्तर पर विचाराधीन नहीं हैं।
7. सिविल कोर्ट ने सही रूप से अवलोकन किया है कि याचिकाकर्ता को एक उपयुक्त चरण में सामग्री और साक्ष्य मूल्य को चुनौती देने का अधिकार होगा। याचिकाकर्ता को प्रस्तुत किए गए द्वितीयक साक्ष्य का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
8. चुनौती दिए गए आदेश में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन/56

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़

